हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

वीरवार, 29 मार्च, 2018/8 चैत्र, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:**

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, सहायक रसायनज्ञ, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.-ए-ए.(3)-2/2016 दिनांक 19.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.06.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, प्रयोगशाला सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.-ए-ए.(3)-3/2016 दिनांक 19.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.06.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता(यान्त्रिक), वर्ग-I(राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.-ए(3)-17/94-I दिनांक 01.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.04.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.-ए.3(1)-2/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.(ए)3 (1)-4/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, पम्प परिचालक, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.(ए)3(1)-4/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित;

(vii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनिशियन(फिटर), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.(ए)2(बी)15-7/2016 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित; और

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, कनिष्ठ तकनिशियन (पम्प आपरेटर), वर्ग-III(अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम,2017 जोकि अधिसूचना संख्या:आई.पी.एच.-ए-सी.-5(9)2/95-II दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 को प्रकाशित ।

3. <u>सदन की समिति के प्रतिवेदन :</u>

श्री इन्द्र सिंह, सभापति,अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **प्रथम प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि बारहवीं विधान सभा के चौदहवें एवं सोलहवें सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **द्वितीय प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि बारहवीं विधान सभा के चौदहवें एवं सोलहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।

4. विवित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्यांक 2)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्यांक 2)

विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

शिमला-171 004 — **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 28 मार्च, 2018 — **सचिव ।**

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(द्वितीय सत्र)

वीरवार, 29 मार्च, 2018/8 चैत्र, 1940 (शक्) के लिए निर्धारित

तारांकित प्रश्न सूची हेतु

शुद्धिपत्र

मद संख्या	शुद्धियां
*346	"सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री" को **"उद्योग मन्त्री" पढ़ा जाए ।**

शिमला-171004
दिनांकः 28 मार्च, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा
सचिव

सूची सं0-1

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

<u>मांग संख्या: 5 - भू-राजस्व व जिला प्रशासन</u>

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	**5**
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"भू-राजस्व व जिला प्रशासन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री राजेन्द्र राणा,
8. श्री नन्द लाल,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री पवन कुमार काजल,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की भू-व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा ।

****

सूची सं0-2

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 6 - आबकारी और कराधान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "**आबकारी और कराधान**" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	**6**
श्री जगत सिंह नेगी ।		

प्रदेश की आबकारी एवं कराधान नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा ।

****

सूची सं0-3

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"पुलिस और सम्बद्ध संगठन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	7

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री राम लाल ठाकुर,
6. श्री नन्द लाल,
7. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
8. श्री विक्रमादित्य सिंह,
9. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की वर्तमान अग्नि से संरक्षण तथा नियन्त्रण नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की गृह रक्षकों की वर्तमान नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.　　　　　　　　　　　　सचिव,

दिनांक 21.03.2018　　　　　　　　　　　　विधान सभा।

****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8- शिक्षा

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	नीति का अननुमोदन	8
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"शिक्षा"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
2. **श्री अनिरूद्ध सिंह,**
3. **श्रीमती आशा कुमारी,**
4. **श्री हर्षवर्धन चौहान,**
5. **श्री जगत सिंह नेगी,**
6. **श्री राम लाल ठाकुर,**
7. **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु,**
8. **श्री नन्द लाल,**
9. **श्री लखविन्द्र सिंह राणा,**
10. **श्री विक्रमादित्य सिंह,**
11. **श्री आशीष बुटेल,**
12. **श्री सतपाल सिंह रायजादा ।**

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों का रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नये शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय खोलने की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में भर्ती की नीति का अननुमोदन ।
5. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन ।

2. <u>सांकेतिक कटौती</u>

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"शिक्षा"
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

<u>श्री हर्षवर्धन चौहान :</u>

1. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न पाठशालाओं में रिक्त पड़े पदों की पदपूर्ति न करने में सरकार की असफलता।

2. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, जामना, तत्याना, टिम्बी तथा नैनीधार के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता।

3. मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में कफोटा और रोनाहट के महाविद्यालय के भवन हेतु पर्याप्त धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा।

*****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	1. नीति का अननुमोदन	11
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"कृषि"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
2. **श्री अनिरूद्ध सिंह,**
3. **श्रीमती आशा कुमारी,**
4. **श्री राकेश सिंघा,**
5. **श्री पवन कुमार काजल,**
6. **श्री आशीष बुटेल ।**

1. किसानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन।
5. कृषि विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004. **सचिव,**
दिनांक 21.3.2018 **विधान सभा।**

****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

"उद्यान"

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
2. **श्री अनिरूद्ध सिंह,**
3. **श्री राम लाल ठाकुर,**
4. **श्री नन्द लाल,**
5. **श्री आशीष बुटेल ।**

1. बागवानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की अच्छे किस्म के रूट स्टॉक का आयात करने तथा पौध संरक्षण एवं औज़ार क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-10

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"वन और वन्य जीवन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	16

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री नन्द लाल,
8. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री पवन कुमार काजल,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री आशीष बुटेल,
14. श्री सतपाल सिंह रायजादा ।

1. सरकार की वर्तमान वनों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की जंगली जानवरों से किसानों/बागवानों को निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004. सचिव,
दिनांक 21.03.2018 विधान सभा।

****

सूची सं0-11

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	18

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
2. **श्रीमती आशा कुमारी,**
3. **श्री राजेन्द्र राणा,**
4. **श्री राकेश सिंघा,**
5. **श्री पवन कुमार काजल ।**

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की पुन: संरचना की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

*****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 25 - सड़क और जल परिवहन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	25

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"सड़क और जल परिवहन "
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राजेन्द्र राणा,
7. श्री नन्द लाल,
8. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
9. श्री राकेश सिंघा,
10. श्री पवन कुमार काजल,
11. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की वर्तमान परिवहन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की बस अडडों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की नई बसें क्रय करने तथा आम जन-मानस तक सुविधा पहुंचाने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-13

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

<u>मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन</u>

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"पर्यटन और नागर विमानन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	26

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री लखविन्द्र सिंह राणा,
5. श्री विक्रमादित्य सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की हवाई पट्टी/ हेलीपैड के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नई राहें नई मंजिले नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.03.2018

सचिव,
विधान सभा।

****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	28
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "**शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास**" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री अनिरूद्ध सिंह,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री विक्रमादित्य सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान नगर एवं ग्राम योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की नगर एवं उप-नगरों में सफाई, पार्किंग, मल निकासी नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्मार्ट सिटी बनाने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 21.3.2018

सचिव,
विधान सभा ।

****

सूची सं0-15

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2018-19 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	32

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"अनुसूचित जाति उप-योजना"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री हर्षवर्धन चौहान:

1. सरकार की वर्तमान अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में सामाजिक सुरक्षा पैंशन की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004. सचिव,
दिनांक 21.03.2018 विधान सभा।

****